

दिनांक-12 अगस्त 2026 को निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की अध्यक्षता में बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की अनुशंसा हेतु उच्चस्तरीय स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

कार्यवाही

आज की बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा कमिटी के सदस्यों को अवगत कराया गया कि "बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019" के अंतर्गत विचारार्थ कुल 80 आवेदन थे, जिसमें 55 नए आवेदन (53 पेंशन एवं 02 पारिवारिक पेंशन) तथा 25 पुराने आवेदन (त्रुटि निराकरण के लिए समय दिया गया था) थे। उक्त सभी आवेदनों की जांच विभागीय आंतरिक जांच समिति द्वारा की गयी। विभागीय आंतरिक जांच समिति के जांच प्रतिवेदन तथा सभी आवेदनों के समेकित चेकलिस्ट पर उच्चस्तरीय स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा समीक्षा की गई।

आवेदनों के सुव्यवस्थित परीक्षण एवं निर्णय की दृष्टि से उन्हें निम्नलिखित 08 (आठ) भागों में वर्गीकृत किया गया है:-

1. समीक्षोपरांत बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 के तहत कुल 14 आवेदन (11 नये आवेदनों तथा 03 पुराने आवेदनों) के विरुद्ध सभी कागजात/अर्हताएँ पूरी होने की स्थिति में समिति द्वारा सम्मान पेंशन योजना से आच्छादित करने अनुशंसा की गई, जिसकी विवरणी निम्नवत् है।

क्र0	जिला का नाम	मीडिया संस्थान का नाम	आवेदक का नाम/पदनाम
01	भागलपुर	दैनिक जागरण	श्री संजय कुमार सिंह, उप समाचार संपादक
02	मधुबनी	आर्यावर्त	श्री दिनेश झा, उप संपादक
03	मुजफ्फरपुर	हिन्दुस्तान	श्री धीरज कुमार सिंह, कार्यालय संवाददाता
04	पटना	राष्ट्रीय सहारा	श्री अनिल कुमार शर्मा, सीनियर सब एडिटर
05	पटना	हिन्दुस्तान	श्री भोला नाथ, राजनीतिक संपादक
06	पटना	टाईम्स ऑफ इंडिया	श्री जय नारायण पाण्डेय, न्यूज एडिटर
07	पटना	दैनिक भास्कर	श्री प्रमोद कुमार सिंह मुकेश, स्थानीय संपादक
08	पटना	ई0टी0वी0 भारत	श्री प्रवीण बागी, ब्यूरो चीफ
09	पटना	प्रभात खबर	श्री रवि शंकर शर्मा, उप संपादक
10	पटना	पी0टी0आई0	श्री समीर कुमार मिश्र, नेशनल एडिटर
11	पटना	द टेलीग्राफ	श्री नलिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट एडिटर
12	मधुबनी	आर्यावर्त	श्री धीरेन्द्र झा, प्रुफ रीडर
13	पटना	हिन्दुस्तान टाईम्स	श्री शम्भु नन्दन प्रसाद, असिस्टेंट एडिटर
14	पटना	हिन्दुस्तान	श्री सुरेन्द्र किशोर राजनीतिक संपादक

2. समीक्षोपरांत बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की कंडिका-05 के तहत पारिवारिक सम्मान पेंशन से संबंधित कुल 02 आवेदन (02 नये आवेदनों) के विरुद्ध सभी कागजात/अर्हताएँ पूरी होने की स्थिति में समिति द्वारा सम्मान पेंशन योजना से आच्छादित करने अनुशंसा की गई, जिसकी विवरणी निम्नवत् है।

क्र0	जिला का नाम	मीडिया संस्थान का नाम	आवेदक का नाम
01	पटना	आर्यावर्त	श्रीमती किरण झा, पति स्व0 महेन्द्र झा
02	पटना	हिन्दुस्तान टाइम्स	श्रीमती निशा सिन्हा, पति-स्व0 अशोक कुमार सिन्हा

3. समीक्षोपरांत बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 के तहत कुल 13 आवेदन (11 नये आवेदनों तथा 02 पुराने आवेदनों) के विरुद्ध सभी कागजात/अर्हताएँ पूर्ण पाये जाने की स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को सेवा अवधि सत्यापन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। EPFO से सेवा-संपुष्टि/बैंक स्टेटमेंट का संबंधित संस्थान से सत्यापन प्राप्त होने की प्रत्याशा में पात्र आवेदकों को समिति द्वारा पेंशन से आच्छादित करने की सशर्त अनुशंसा की गई, जिसकी विवरणी निम्नवत् है।

क्र0	जिला का नाम	मीडिया संस्थान का नाम	आवेदक का नाम/पदनाम
01	भागलपुर	प्रभात खबर	श्री अमरेन्द्र कुमार ठाकुर, चीफ कॉपी राईटर
02	भागलपुर	हिन्दुस्तान	श्री बिरेन्द्र कुमार, संवाददाता
03	पटना	द इकोनोमिक्स टाइम्स	श्री अशोक कुमार मिश्रा, स्पेशल कौरेस्पोंडेंट
04	पटना	राष्ट्रीय सहारा	श्री इन्द्रजीत डे, फोटो जर्नलिस्ट
05	पटना	राष्ट्रीय सहारा	श्री कला रॉय, वरिष्ठ उप संपादक
06	पटना	दैनिक जागरण	श्री मनीष कुमार, उप समाचार संपादक
07	पटना	इंडियन नेशन	श्री प्रीति नाथ झा, चीफ रिपोर्टर
08	पटना	राष्ट्रीय सहारा	श्री राजेन्द्र रमण, कार्यालय संवाददाता
09	पटना	द टाइम्स ऑफ इंडिया	श्री सुधाकर झा, सिनियर कॉपी राईटर
10	पटना	एच0टी0 डिजिटल स्ट्रीम	श्री विश्वपति, सीनियर कॉपी राईटर
11	पटना	हिन्दुस्तान टाइम्स	श्रीमती रीना सोपम, मुख्य संवाददाता
12	पटना	द पायोनियर	श्री फैजान अहमद, मुख्य संवाददाता
13	मुजफ्फरपुर	राष्ट्रीय सहारा	श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, उप संपादक

4. समीक्षोपरांत बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 के तहत कुल 17 नये आवेदनों के विरुद्ध सभी कागजात/अर्हताएँ पूरी नहीं होने की स्थिति में कतिपय त्रुटि के निराकरण के लिए 30 दिनों का समय देने की अनुशंसा की गई, जिसकी विवरणी निम्नवत् है।

क्र0	जिला का नाम	मीडिया संस्थान का नाम	आवेदक का नाम/पदनाम	अभ्युक्ति
01	भागलपुर	राष्ट्रीय सहारा	श्री दीपक कोचगवे ब्यूरो चीफ	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
02	मुंगेर	यू0एन0आई0	श्री श्रीकृष्ण प्रसाद, संवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
03	मुजफ्फरपुर	दैनिक जागरण	श्री अमर नाथ झा, डिप्टी चीफ सब एडिटर	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
04	मुजफ्फरपुर	दैनिक भास्कर	श्री कुमार शरद, डिप्टी न्यूज एडिटर	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है। तथा शपथ पत्र की मूलप्रति संलग्न नहीं है।

05	मुजफ्फरपुर	इंडिया टी0वी0	श्री मनोज कुमार, अंशकालीक सवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
06	मुजफ्फरपुर	हिन्दुस्तान	श्री रामबाबू सुमन, सीनियर कॉपी एडिटर	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है। (बैंक स्टेटमेंट एवं EPF की अवधि स्पष्ट नहीं)
07	मुजफ्फरपुर	दैनिक जागरण	श्री सुनील कुमार झा, सी0 चीफ सब एडिटर	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
08	पटना	जनशक्ति	श्री अमर मोहन प्रसाद, विशेष संवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
09	पटना	हिन्दुस्तान टाईम्स	श्रीमती अनुजा सिंघे, सब एडिटर कम रिपोर्टर	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
10	पटना	सहारा समय	श्री अरुण कुमार, संवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
11	पटना	आज	श्री रजनी कांत शुक्ल, वरिय उप संपादक	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है। पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न नहीं है। शपथ पत्र का कंडिका-4 विरोधाभास है।
12	पटना	प्यारी उर्दू	श्री राजेश कुमार, ब्यूरो प्रमुख	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
13	पटना	डेली न्यूज एक्टिविस्ट	श्री राकेश पाण्डेय, विशेष संवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
14	पटना	द ट्रिब्यून	श्री संजय सिंह विशेष संवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
15	पटना	प्रभात खबर	श्री शशि भूषण कुंवर, डिप्टी चीफ कॉपी राईटर	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
16	पटना	न्यूज एक्सप्रेस	श्री विकास कुमार झा, ब्यूरो प्रमुख	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है। शपथ पत्र का मूलप्रति संलग्न नहीं है।
17	पटना	दैनिक जागरण	श्री वीरेन्द्र विश्वकर्मा, सिनियर फोटोग्राफर	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।

5. समीक्षोपरांत बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 के तहत 19 पुराने आवेदनों के विरुद्ध सभी कागजात/अर्हताएँ पूरी नहीं होने की स्थिति में विगत बैठक में भी संबंधित आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु समय प्रदान किया गया था। समिति द्वारा इन आवेदकों को अंतिम रूप से 30 दिनों का समय प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त निर्धारित समयावधि के भीतर जिन आवेदकों द्वारा अपेक्षित कागजात/वैध साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, ऐसे आवेदनों को निरस्त किए जाने की अनुशंसा की गयी है।

क्र0	जिला का नाम	मीडिया संस्थान का नाम	आवेदक का नाम/पदनाम	अभियुक्ति
01	भागलपुर	हिन्दुस्तान	श्री अशोक कुमार चौधरी, वरीय संवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
02	भागलपुर	दैनिक जागरण	श्री संतोष कुमार पाण्डेय, सब एडिटर	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
03	दरभंगा	दैनिक भास्कर	श्री उदय कुमार मिश्र, प्रुफ रीडर	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
04	जमुई	आवामी न्यूज	श्री देवेन्द्र प्रसाद सिन्हा, संवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
05	कटिहार	आज	श्री ललित कुमार ठाकुर, जिला संवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
06	पटना	पी0टी0आई0	श्री अमरकांत अचार्य, ब्यूरो प्रमुख	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
07	पटना	द टाइम्स ऑफ इंडिया	श्री सुधाकर झा, सीनियर कॉपी राईटर	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
08	पटना	सन्मार्ग	श्री बिरेन्द्र कुमार पाण्डेय, समाचार संपादक	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
09	पटना	दैनिक जागरण	श्री अनिल कुमार, रिपोर्टर	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
10	पटना	दैनिक जागरण	श्री संजय कुमार झा, वरिष्ठ उप संपादक	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
11	पटना	रोजनामा राष्ट्रीय सहारा	मो0 जावेद आलम, फोटोग्राफर	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
12	पटना	सन्मार्ग	श्री जैनेन्द्र कुमार, विशेष संवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
13	पटना	सन्मार्ग	श्री जय कुमार झा, मुख्य संवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
14	पटना	टाइम्स ऑफ इंडिया	श्री कृष्ण कुमार सिंह, चीफ रिपोर्टर	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।

15	पटना	इंडियन नेशन	श्री शशि शेखर सिन्हा, सहायक संपादक	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
16	पटना	टाइम्स ऑफ इंडिया	ललन कुमार, स्टाफ फोटोग्राफर	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
17	पटना	दि मीडिया टाइम्स, आर्यावत	श्री संजीव शेखर झा	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
18	शिवहर	दैनिक जागरण	श्री अंजनी कुमार पाण्डेय, जिला प्रभारी	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
19	सहरसा	राष्ट्रीय सहारा	मोहम्मद ईशा उद्दीन, वरीय उप संपादक	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 की नियमावली की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।

6. समीक्षोपरांत बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, 2019 के तहत कुल 15 नये आवेदनों के विरुद्ध सभी कागजात/ अर्हताएँ पूरी नहीं होने की स्थिति में समिति द्वारा निम्न आवेदनों को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की है।

क्र0	जिला का नाम	मीडिया संस्थान का नाम	आवेदक का नाम/पदनाम	निरस्त किये जाने का कारण
01	भागलपुर	दैनिक जागरण	श्री विजय कुमार विजय संवाददाता	आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अवैतनिक कार्यरत दर्शाया गया है तथा सेवानिवृत्ति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
02	दरभंगा	दैनिक भास्कर	श्री शिव कुमार लाल दास, संवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की कंडिका 3(ii) के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 58/60 वर्ष निर्धारित है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में सेवानिवृत्ति की आयु 66 वर्ष अंकित/उल्लेखित है। साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
03	दरभंगा	राष्ट्रीय सहारा	श्री तपेश्वर कुमार झा, संवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
04	गया जी	राष्ट्रीय सहारा	श्री गोपाल प्रसाद सिन्हा, संवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की कंडिका 3(ii) के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 58/60 वर्ष निर्धारित है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष अंकित/उल्लेखित है, इसके अतिरिक्त शपथ पत्र की मूलप्रति तथा निवास प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है। साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।

05	गोपालगंज	दैनिक भास्कर	श्री अखिलानंद मिश्र जिला संवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की कंडिका 3(ii) के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 58/60 वर्ष निर्धारित है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में सेवानिवृत्ति की आयु 63 वर्ष अंकित/उल्लेखित है, तथा निवास प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है। साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
06	कटिहार	यू0एन0आई0	सुकुमार सिंह झा, स्ट्रींगर	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की कंडिका 3(ii) के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 58/60 वर्ष निर्धारित है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष अंकित/उल्लेखित है, तथा निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है साथ ही working journalists act 1955 ke 2 (f) के अंतर्गत स्ट्रींगर का प्रावधान नहीं है।
07	खगड़िया	आकाशवाणी	श्री प्रभात समुन, संवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
08	किशनगंज	उत्तर बंग संवाद	श्री शक्ति प्रसाद जोआरदार	विहित प्रपत्र में आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक पूर्व से ही पेंशनधारी है।
09	मुजफ्फरपुर	पी0टी0आई0	श्री ऋतेश अनुपम अंशकालीन संवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की कंडिका 3(ii) के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 58/60 वर्ष निर्धारित है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष अंकित/उल्लेखित है।
10	पटना	पी0टी0आई0	श्री सुरज देव नारायण, अस्सिस्टेंट जेनरल मैनेजर,	परिष्ठी ख का क्रमांक-08 एवं 09 अपूर्ण भरा हुआ है तथा working journalists act 1955 ke 2 (f) के तहत अस्सिस्टेंट जेनरल मैनेजर का प्रावधान नहीं है।
11	पटना	हिन्दुस्थान समाचार	श्री विजय शंकर, उप संपादक-सह-संवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की कंडिका 3(ii) के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 58/60 वर्ष निर्धारित है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में सेवानिवृत्ति की आयु 61 वर्ष अंकित/उल्लेखित है साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।
12	पटना	आज	श्री विष्णुकांत मिश्र	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, कार्यानुभव संबंधी प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न नहीं है।
13	पूर्णिया	आज	श्री बमशंकर झा, संवाददाता	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है। तथा आश्रित का विवरण त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि आश्रित के रूप में पुत्र का नाम अंकित किया गया है।
14	पश्चिम चंपारण (बेतिया)	इंडिया न्यूज चैनल	श्री राजीव रंजन झा, वरिष्ठ पत्रकार	विहित प्रपत्र में आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है।

15	पश्चिम चंपारण (बेतिया)	इंडिया न्यूज चैनल	श्री श्रीमान मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार	बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की कंडिका-7 B/C के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है साथ ही निवास प्रमाण-पत्र भी संलग्न नहीं है।
----	------------------------------	----------------------	--	---

7. बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 के अन्तर्गत दिनांक 17.01.2025 की कार्यवाही में बिहार पारिवारिक सम्मान पेंशन हेतु अनुशंसित आवेदिका श्रीमती दीपा बरियार, पति-स्व० रविनेश्वर दयाल द्वारा दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया है कि उन्हें वर्तमान में अन्य सरकारी पेंशन की लाभ की प्राप्ति हो रही है।

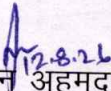
अतः बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 की कंडिका-11 में निहित प्रावधानों के आलोक में, आवेदिका को प्रदत्त बिहार पारिवारिक सम्मान पेंशन को निरस्त किया जाता है।

8. समिति द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पत्रकार की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों (पति/पत्नी) को पारिवारिक सम्मान पेंशन से आच्छादित किए जाने हेतु आश्रितों से निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र सहित आवश्यक अभिलेख प्राप्त किए जाएँ। तत्पश्चात् उनके आवेदनों पर निदेशक से अनुमोदन प्राप्त कर पारिवारिक सम्मान पेंशन से आच्छादित किया जाएगा।

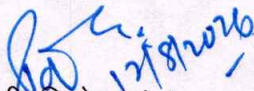
उक्त कार्यवाही की "घटनोत्तर स्वीकृति" समिति की अगली बैठक में प्राप्त कर ली जाएगी।
सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

उपस्थित सदस्यगण।

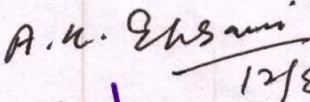

नीतीश कुमार सिन्हा
(सहायक निदेशक)
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

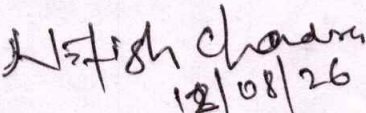

(रिजवान अहमद)
आ०वि० सला०
वित्त विभाग

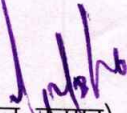

(श्री मनीष कुमार)
उप श्रमायुक्त
श्रम संसाधन एवं प्रवासी
कल्याण विभाग


(श्री बिनोद बंधु)
स्थानीय संपादक
हिन्दुस्तान


(श्री अजय कुमार)
संपादक
प्रभात खबर

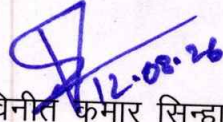

(श्री ए०के० एहसानि)
प्रधान संपादक
पिन्दार


(श्री नीतीश चन्द्रा)
ब्यूरो प्रमुख
इंडिया टीवी०


(श्री अनिल कुमार)
निदेशक
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक-प्रेस शाखा)-415/2019 (पार्ट-1)...1676.../सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक-12/08/26

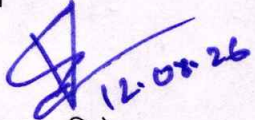
प्रतिलिपि :- बिहार राज्य पत्रकार सम्मान पेंशन समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।


(विनीत कुमार सिन्हा)

सहायक निदेशक
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्रेस शाखा)-415/2019 (पार्ट-1)...1676.../सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक-12/08/26

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार एवं आई0टी0 मैनेजर, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सहायक निदेशक

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।